

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

12

सेवा मे,

माननीय रजिस्ट्रार,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली।

E-mail : judicial-ngt@gov.in

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ लेना चाहेंगे। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0- 235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुपालन हेतु पट्टाधारक को पक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.11.2022 को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गयी। सुनवाई के सम्बन्ध में कार्यवाही का विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय



(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश की अनुपालन आख्या।

1. पृष्ठभूमि

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदक द्वारा दायर शिकायत "for issuance of directions to the authorities to assess environmental damage, prevent illegal mining, register criminal cases for offenses involved, ensure seizure of vehicles involved in illegal mining and take action for cancellation of lease in favour of respondent no.6 for violations. The applicant has also sought interim injunction restraining respondent no. 6 from carrying on the mining operations in the disputed site." के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है—

-----"4. **Prima facie, the allegations made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010 In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Learned Counsel for the applicants and respondent No. 6 have no objection to appointment of such Committee. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Regional Office of Archeological Survey of India, Lucknow, Uttar Pradesh and State PCB, DFO and District Magistrate, Mahoba and direct the same to meet within three weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the project proponent, verify the factual position and submit its report within six weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in the form of**

searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms, then it shall forward a copy of its report to :-

(i) The Project Proponent to enable her to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations / recommendations contained in the same and file her response before this Tribunal as desired within two weeks from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF; and

(ii) The concerned Statutory Authorities including State PCB and District Magistrate, Mahoba to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/ degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the project proponent and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within two weeks from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 07.12.2022.

7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Regional Office of Archeological Survey of India, Lucknow, Uttar Pradesh, and State PCB, DFO and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

2. कार्यवाही

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक- 1186/एन0जी0टी0 /ओ0ए0-335 /2022 दिनांक 28.10.2022 द्वारा जांच/ निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा खनन स्थल का निरीक्षण दिनांक 03.11.2022 को किया गया एवं संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की judicial-ngt@gov.in पर दिनांक 05.11.2022 में अपलोड किया गया है (संलग्नक- 1)।
2. संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या को श्री अतीक अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि, खनन पट्टाधारक श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व0 सुऐब अहमद, निवासी- विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा को दिनांक 09. 11.2022 को प्राप्त कराया गया है (संलग्नक- 2)।
3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली योजित ओ0ए0 संख्या-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुपालन हेतु पट्टाधारक को पक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.11.2022 को हियरिंग के माध्यम से सुनवाई नियत की गयी। सुनवाई के दौरान पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी की गयी कार्यवाही की सूचना/ अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रश्नावली प्राप्त कराई गयी। सुनवाई के दौरान पट्टाधारक एवं कार्मिकों की उपस्थिति तथा पट्टाधारक को प्राप्त कराई गयी पत्रावली संलग्न है (संलग्नक- 3)।
4. श्री अतीक अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि, खनन पट्टाधारक श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व0 सुऐब अहमद, निवासी- विवेक नगर, कबरई,

जनपद—महोबा द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुपालन हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 22.11.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि " ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु कन्ट्रोल्ड एवं मफल ब्लास्टिंग की जाती है। वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रेशर हार्न एवं हार्न आदि का प्रयोग कम से कम किये जाने हेतु समय-समय पर वाहन चालकों को निर्देशित किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। प्रक्रिया उत्सर्जन यथा धूल आदि के नियंत्रण हेतु हालेज रोड पर पानी का छिडकाव नियमित किया जाता है। वर्तमान में खनन कार्य संचालित नहीं है। संचालन प्रारम्भ होने के पश्चात आस-पास के पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के अन्तर्गत निर्धारित बजट/ धनराशि (कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 5 प्रतिशत) को गाँवों में हैण्डपम्प लगाने, स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध कराने, खाली जगहों पर पेड लगाने, ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों के हित में बताये गये कार्यों में व्यय किये जाने आदि हेतु खर्च किया जाता है। " (संलग्नक- 4)।

5. सुनवाई के दौरान खनन पट्टाधारक को खनन हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन करने तथा अनुपालनात्मक कार्यवाही की अनुपालन आख्या निर्धारित अवधि में प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। खनन पट्टा स्थल के आस-पास पर्यावरण संरक्षण हेतु समुचित उपाय किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के अन्तर्गत निर्धारित बजट/ धनराशि के व्यय का विवरण प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है (संलग्नक- 5)।

आख्या सादर प्रेषित है।



(राजेन्द्र प्रसाद)

क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

बाँदा



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बाँदा उ०प्र०-210001

संदर्भ संख्या : 122/ओ०ए० सं०-235/2022/राम सरीखा सुदेश्वरी/एनजीटी/22 दिनांक : 07/11/2022

सेवा में,

श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व० सुरेब अहमद
निवासी- विवेक नगर, कबरई,
जनपद-महोबा।


विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 के अनुपालन जनपद-महोबा के ग्राम-सिंघनपुर, बधारी, तहसील सदर, जनाद-महोबा के खाता नं० 735, गाटा नं०-482 (क्षेत्रफल-2.024 हे०) हेतु श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व० सुरेब अहमद निवासी-विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा को खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में जारी सहमति पत्र (एल०ओ०आई०) के क्रम में उक्त खनन स्थल पर किये जा रहे बिल्डिंग स्टोन (खण्डा बाल्डर, ब्लास्ट(गिटटी)) खनन कार्य के विरुद्ध ओ०ए० संख्या-235/2022 में आवेदक श्री सतीश कुमार शर्मा प्राधिकृत प्रतिनिधि, रामसरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन, निवासी-ए-146, गली नं०-10, ए३, सोनिया विहार, नई दिल्ली-110090 द्वारा उल्लिखित शिकायत के दृष्टिगत कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक- 1186/एन०जी०टी०/ओ०ए०-335 /2022 दिनांक 28.10.2022 द्वारा गठित संयुक्त जांच/निरीक्षण समिति द्वारा संयुक्त जांच/निरीक्षण दिनांक 03.11.2022 को किया गया। संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या संलग्न है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 के अनुपालन में संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महोबा को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पुनः-2) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रथम) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Received.
9/11/22


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 के अनुपालन में खनन पट्टाधारक श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व0 सुप्रेबु अहमद निवासी-विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा को पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुपालन हेतु पक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.11.2022 को दोपहर 12:00 बजे, स्थल - क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा के कार्यालय कक्ष में नियत हियरिंग के समय पट्टाधारक को उपलब्ध कराये गये प्रश्नावली का विवरण।

1. खनन हेतु डिस्ट्रिक्ट लेबल इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट एथारिटी, महोबा द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01.12.2018 की शर्तों की अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित किया जा रहा है अथवा नहीं।
2. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति आदेश दिनांक 03.08.2022 में अंकित शर्तों के अनुपालन किये जाने हेतु प्रतिबद्धता प्रस्तुत की जाये।
3. खनन पट्टा स्थल के संचालन से उत्पन्न प्रक्रिया उत्सर्जन यथा धूल आदि के नियंत्रण हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि आस-पास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
4. खनन हेतु की जा रही ब्लास्टिंग तथा वाहनों के आवागमन एवं हार्न बजने से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या उपाय किया जाता है, जिससे कि आस-पास के क्षेत्र में ध्वनि स्तर को मानकों के अनुरूप नियंत्रित किया जा सकता है।
5. कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के अन्तर्गत निर्धारित बजट/ धनराशि के क्रम में की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

Received. Alique Ahmed.
Authorized by
19/11/22 lease holder -

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

बॉदा।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 के अनुपालन में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुपालन हेतु पक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.11.2022 को दोपहर 12:00 बजे, स्थल - क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के कार्यालय कक्ष में नियत हियरिंग के समय पट्टाधारक को उपलब्ध कराये गये प्रश्नावली का विवरण।

महोदय,

उक्त नियत तिथि को प्राप्त कराये गये/पूछे गये प्रश्नों के अनुपालन में आख्या/विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	प्रश्न विवरण	अनुपालन आख्या
1	खनन हेतु डिस्ट्रिक्ट लेबल इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट एथारिटी, महोबा द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01.12.2018 की शर्तों की अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित किया जा रहा है अथवा नहीं।	खनन हेतु डिस्ट्रिक्ट लेबल इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट एथारिटी, महोबा द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01.12.2018 की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है एवं अनुपालन आख्या पत्र दिनांक 30.10.2022 द्वारा प्रेषित की गयी है।
2	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति आदेश दिनांक 03.08.2022 में अंकित शर्तों के अनुपालन किये जाने हेतु प्रतिबद्धता प्रस्तुत की जाये।	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति आदेश दिनांक 03.08.2022 की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है एवं अनुपालन आख्या पत्र दिनांक 30.10.2022 द्वारा प्रेषित की गयी है।
3	खनन पट्टा स्थल के संचालन से उत्पन्न प्रक्रिया उत्सर्जन यथा धूल आदि के नियंत्रण हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि आस-पास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।	खनन पट्टा स्थल के संचालन से उत्पन्न प्रक्रिया उत्सर्जन यथा धूल आदि के नियंत्रण हेतु हातोड़ रोड पर पानी का छिडकाव नियमित किया जाता है। ब्लास्टिंग के समय पत्थर को उड़ने से रोकने हेतु कन्ट्रोल्ड एवं मफल ब्लास्टिंग की जाती है।
4	खनन हेतु की जा रही ब्लास्टिंग तथा वाहनों के आवागमन एवं हार्न बजने से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या उपाय किया जाता है, जिससे कि आस-पास के क्षेत्र में ध्वनि स्तर को मानको के अनुरूप नियंत्रित किया जा सकता है।	खनन हेतु की जा रही ब्लास्टिंग के समय होने वाले ध्वनि स्तर के रोकथाम हेतु कन्ट्रोल्ड एवं मफल ब्लास्टिंग की जाती है। वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रेशर हार्न एवं हार्न आदि का प्रयोग यथा आवश्यक कम से कम किये जाने हेतु समय-समय पर वाहन चालकों को निर्देशित किया जाता है।

22/11/2022

22/11/2022

<p>5 कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अन्तर्गत निर्धारित बजट/ धनराशि के कम में की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाये।</p>	<p>कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अन्तर्गत निर्धारित बजट/ धनराशि (कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 5 प्रतिशत) को गाँवों में हैण्डपम्प लगाने, स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध कराने, खाली जगहों पर पेड लगाने, ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों के हित में बताये गये कार्यों में व्यय किये जाने आदि हेतु खर्च किया जाता है।</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

यह भी अवगत कराया जाना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य विचाराधीन होने के कारण वर्तमान में खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। माननीय अधिकरण द्वारा उक्त ओ.ए. संख्या में दिये गये आदेश के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। खनन प्रारम्भ करने के बाद पर्यावरण संरक्षण हेतु खनन स्थल के आस-पास अथवा गाँव के आस-पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दिशा निर्देशों के साथ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त सूचना आपको सादर प्रेषित है।

दिनांक : 22.11.2022

भवदीय



(अर्तिक अहमद)

अधिकृत प्रतिनिधि

शाबरा खातून पत्नी स्व0 सोएब अहमद
निवासी- विवेक नगर, कबरई, महोबा।



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बाँदा उ०प्र०-210001

संदर्भ संख्या 1263 /ओ०ए० सं०-235/2022/राम सरीखा सुदेश्वरी/एनजीटी/22 दिनांक : 22 / 10 / 2022

सेवा मे,

श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद
निवासी-विवेक नगर, कबरई,
जनपद-महोबा

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 के अनुपालन में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुपालन हेतु पक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.11.2022 को नियत हियरिंग के समय उपलब्ध कराये गये प्रश्नावली के अनुपालन में प्रेषित उत्तर/अनुपालन आख्या दिनांक 22.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु कन्ट्रोल एवं मफल ब्लास्टिंग की जाती है। वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रेशर हार्न एवं हार्न आदि का प्रयोग कम से कम किये जाने हेतु समय-समय पर वाहन चालकों को निर्देशित किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। प्रक्रिया उत्सर्जन यथा धूल आदि के नियंत्रण हेतु हालेज रोड पर पानी का छिडकाव नियमित किया जाता है। वर्तमान में खनन कार्य संचालित नहीं है। संचालन प्रारम्भ होने के पश्चात आस-पास के पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के अन्तर्गत निर्धारित बजट/ धनराशि (कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 5 प्रतिशत) को गाँवों में हैण्डपम्प लगाने, स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध कराने, खाली जगहों पर पेड लगाने, ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों के हित में बताये गये कार्यों में व्यय किये जाने आदि हेतु खर्च किया जाता है।

अतएवं आपको निर्देशित किया जाता है कि खनन हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जाये तथा अनुपालनात्मक कार्यवाही की अनुपालन आख्या निर्धारित अवधि में समस्त सम्बन्धित को प्रेषित किया जाये। खनन पट्टा स्थल के आस-पास पर्यावरण संरक्षण हेतु समुचित उपाय किया जाये। कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के अन्तर्गत निर्धारित बजट/ धनराशि के व्यय का विवरण प्रेषित किया जाये।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)


क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महोबा को सादर सूचनार्थ।

(2)

2. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी (प्रथम), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

ek

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली।

E-mail : judicial-ngt@gov.in

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ लेना चाहेंगे। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0- 235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच 83268/नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल नं0- 207/22 दिनांक 19.10.2022 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नामित किया गया है। तत्कम में कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक- 1186/ एन0जी0टी0 /ओ0ए0-335/2022 दिनांक 28.10.2022 द्वारा संयुक्त जांच/ निरीक्षण समिति का गठन किया गया है (छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-1)।

उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद-महोबा के ग्राम-सिंघनपुर, बघारी, तहसील सदर, जनपद-महोबा के खाता नं0 735, गाटा नं0-482 (क्षेत्रफल-2.024 हे0) हेतु श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व0 सुऐब अहमद निवासी-विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा पर किये जा रहे बिल्डिंग स्टॉन (खण्डा बोल्टर, ब्लास्ट(गिट्टी)) खनन कार्य के विरुद्ध ओ0ए0 संख्या-235/2022 में आवेदक श्री सतीश कुमार शर्मा प्राधिकृत प्रतिनिधि, रामसरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन, निवासी-ए-146, गली नं0-10, ए3, सोनिया विहार, नई दिल्ली-110090 द्वारा उल्लिखित शिकायत के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जांच/निरीक्षण समिति के नामित सदस्यों द्वारा संयुक्त जांच/निरीक्षण दिनांक 03.11.2022 को किया गया। संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या संलग्न है (संलग्नक-2)।

आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा

पत्रांक- 1224/आ० ए०-235/2022

दिनांक-05 नवम्बर, 2022

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
महोबा।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
महोबा।


विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ लेना चाहेंगे। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०- 235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद-महोबा के ग्राम-सिंघनपुर, बघारी, तहसील सदर, जनपद-महोबा के खाता नं० 735, गाटा नं०-482 (क्षेत्रफल-2.024 हे०) हेतु श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद निवासी-विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा को खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में जारी सहमति पत्र (एल०ओ०आई०) के क्रम में उक्त खनन स्थल पर किये जा रहे बिल्डिंग स्टॉन (खण्डा बोल्टर, ब्लास्ट(गिट्टी)) खनन कार्य के विरुद्ध ओ०ए० संख्या-235/2022 में आवेदक श्री सतीश कुमार शर्मा प्राधिकृत प्रतिनिधि, रामसरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन, निवासी-ए-146, गली नं०-10, ए३, सोनिया विहार, नई दिल्ली-110090 द्वारा उल्लिखित शिकायत के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जांच/निरीक्षण किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक- 1186/एन०जी०टी०/ओ०ए०-335 /2022 दिनांक 28.10.2022 द्वारा संयुक्त जांच/निरीक्षण समिति का गठन किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित अधिकारियों की समिति द्वारा आवेदक श्री सतीश कुमार शर्मा प्राधिकृत प्रतिनिधि, रामसरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन, निवासी-ए-146, गली नं०-10, ए३, सोनिया विहार, नई दिल्ली-110090 के उल्लिखित शिकायत के दृष्टिगत जनपद-महोबा के ग्राम-सिंघनपुर, बघारी, तहसील सदर, जनपद-महोबा के खाता नं० 735, गाटा नं०-482 (क्षेत्रफल-2.024 हे०) हेतु श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद निवासी-विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा को खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में जारी सहमति पत्र(एल०ओ०आई०) के क्रम में उक्त खनन स्थल पर किये जा रहे बिल्डिंग स्टॉन (खण्डा बोल्टर, ब्लास्ट(गिट्टी)) खनन कार्य की संयुक्त जांच/निरीक्षण दिनांक 03.11.2022 को किया गया। संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या संलग्न कर महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय

(आर० एस० वर्मा)
अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),
महोबा

क०प०उ०

(2)

पु0सं0 सम दिनांकित:

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, झांसी (नामित सदस्य)
5. वरिष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद-महोबा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा को इस निर्देश से प्रेषित कि जांच/संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की ई-मेल आईडी- judicial-ngt@gov.in पर ससमय अपलोड करे।

(आर0 एस0 वर्मा)

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
महोबा

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या।


1. पृष्ठभूमि

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदक द्वारा दायर शिकायत “for issuance of directions to the authorities to assess environmental damage, prevent illegal mining, register criminal cases for offenses involved, ensure seizure of vehicles involved in illegal mining and take action for cancellation of lease in favour of respondent no.6 for violations. The applicant has also sought interim injunction restraining respondent no. 6 from carrying on the mining operations in the disputed site.” के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है-

-----"4. **Prima facie, the allegations made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010 In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Learned Counsel for the applicants and respondent No. 6 have no objection to appointment of such Committee. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Regional Office of Archeological Survey of India, Lucknow, Uttar Pradesh and State PCB, DFO and District Magistrate, Mahoba and direct the same to meet within three weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the project proponent, verify the factual position and submit its report within six weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in the form of searchable PDF/OCR**











Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms, then it shall forward a copy of its report to :-
- (i) The Project Proponent to enable her to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations / recommendations contained in the same and file her response before this Tribunal as desired within two weeks from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF; and
 - (ii) The concerned Statutory Authorities including State PCB and District Magistrate, Mahoba to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/ degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the project proponent and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within two weeks from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
6. List for further consideration on 07.12.2022.
7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Regional Office of Archeological Survey of India, Lucknow, Uttar Pradesh, and State PCB, DFO and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.







2. कार्यवाही

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक-1186/एन0जी0टी0 /ओ0ए0-335 /2022 दिनांक 28.10.2022 द्वारा जांच/निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की जांच/निरीक्षण समिति का गठन किया गया (छायाप्रति संलग्नक- 1):-

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा, जनपद-महोबा।
2. वरिष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद-महोबा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ/झांसी (नामित सदस्य)।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा।

जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 1186/एन0जी0टी0/ओ0ए0-335/2022 दिनांक 28.10.2022 द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में गठित जांच/निरीक्षण समिति द्वारा प्रश्नगत खनन स्थल का निरीक्षण दिनांक-03.11.2022 को आवेदक राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधि इंजीनियर श्री सारथ कुमार व्यास एवं खनन पट्टाधारक श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व0 श्री सुऐब अहमद के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अतीक अहमद की उपस्थिति में किया गया। कमवार विवरण/निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

3. खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी विवरण एवं खनन स्थल निरीक्षण सम्बन्धी विवरण।

प्रतिवादी संख्या	विवरण	विवरण
6	खनन पट्टाधारक का नाम व पता	श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व0 सुऐब अहमद, निवासी- विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा।
	खनन परियोजना स्थल का पता	गाटा सं0- 482 , ग्राम- सिंधनपुर, बघारी, तहसील-सदर, जनपद- महोबा, उ0प्र0
	जिओकोआर्डिनेट	(A) 25° 29'20.88" N, 79° 56'23.81" E (B) 25° 29'20.99" N, 79° 56'26.53" E



		(C) 25° 29' 19.81" N, 79° 56' 28.76" E (D) 25° 29' 17.77" N, 79° 56' 27.97" E (E) 25° 29' 16.73" N, 79° 56' 23.50" E (F) 25° 29' 17.74" N, 79° 56' 21.73" E (G) 25° 29' 19.64" N, 79° 56' 21.13" E
	खनन स्वीकृति विवरण	1. लेटर ऑफ इन्टेन्ट पत्र दिनांक— 13.08.2018 द्वारा जारी। 2. माइनिंग प्लान पत्र दिनांक— 13.06.2022 द्वारा जारी। 3. डी.ई.आई.ए.ए. महोबा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक— 01.12.2018 द्वारा जारी। 4. खनन क्षेत्रफल 2.024 हेक्टेयर एवं खनन क्षमता 20240 घनमी०/वर्ष। 5. खनन पट्टा विलेख निष्पादन का दिनांक 08.01.2019 6. खनन पट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत। 7. इकाई को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति (जल एवं वायु) दिनांक— 31.12.2024 तक की अवधि हेतु निर्गत है।

4. उक्त खनन स्थल गाटा सं०— 482, ग्राम— सिंधनपुर, बघारी, तहसील—सदर, जनपद—महोबा पर पट्टाधारक श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद, निवासी—विवेक नगर, कबरई, जनपद—महोबा को खनन पट्टा स्वीकृत होने एवं संचालन प्रारम्भ किये जाने से पूर्व में दिनांक 17.08.1996 से 16.08.2006 तक एवं नवीनीकरण दिनांक 17.08.2006 से 16.08.2016 तक की अवधि में खनन पट्टा पट्टाधारक श्री सुऐब अहमद पुत्र श्री मुख्तार अहमद, निवासी— कबरई, जनपद— महोबा के पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित था। उक्त अवधि में पट्टाधारक श्री सुऐब अहमद पुत्र श्री मुख्तार अहमद द्वारा खनन कार्य किया गया था।
5. उक्त खनन स्थल गाटा सं०— 482, ग्राम— सिंधनपुर, बघारी, तहसील—सदर, जनपद—महोबा पर प्रतिवादी श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद, निवासी— विवेक नगर, कबरई, जनपद—महोबा उ०प्र० को पुनः खनन पट्टा विलेख निष्पादन का दिनांक 08.01.2019 से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है।
6. निरीक्षण के समय गाटा सं०— 482, ग्राम— सिंधनपुर, बघारी, तहसील—सदर, जनपद—महोबा पर पत्थर का खनन कार्य किया हुआ पाया गया। खनन कार्य स्थल पर लगभग 25 मीटर की गहराई तक खनन कार्य किया हुआ पाया गया।
7. खनन पट्टा स्थल पर तीन तरफ फेन्सिंग का कार्य किया हुआ पाया गया, शेष एक तरफ पट्टाधारक की स्वयं की जमीन उपलब्ध है, जिसपर फेन्सिंग का कार्य किया हुआ पाया गया।





8. निरीक्षण के समय खनन स्थल पर खनन कार्य संचालित होता नहीं पाया गया। खनन पट्टाधारक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय अधिकरण में योजित होने के कारण खनन कार्य बंद किया गया है।
9. खनन स्थल पर खनन कार्य ऊपर से नीचे की तरफ बेन्च बनाते हुए किया हुआ पाया गया।
10. खनन के दौरान जनित मलबा एवं टाप स्वायल खनन स्थल पर उपलब्ध पाया गया। खनन पट्टाधारक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ओवर बर्डन खनन स्थल पर बहुत कम मात्रा में जनित हुआ है।
11. खनन पट्टाधारक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य माननीय अधिकरण द्वारा आदेश पारित किये जाने के पश्चात किया जायेगा। खनन स्थल पर खनन कार्य 10 वर्ष तक किये जाने हेतु खनन पट्टा स्वीकृत है। खनन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मलबा को पिट में भरकर नियमानुसार समतल किया जायेगा।
12. खनन स्थल पर कार्मिको हेतु रेस्ट हेतु एक कमरा बना हुआ पाया गया।
13. खनन पट्टाधारक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन परियोजना में ब्लॉस्टिंग का कार्य निर्धारित समय 2:00 बजे दिन में किया जाता है। विस्फोट किये जाने से पूर्व रेड प्लैग लगाया जाता है तथा सॉयरन द्वारा चेतावनी दी जाती है।
14. खनन परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्मिकों को ट्रेनिंग समय-समय पर दी जाती है।
15. खनन परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लॉस्टिंग एवं वाहनों के आवागमन से उत्पन्न धूल आदि की रोकथाम हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है। यह भी अवगत कराया गया कि ब्लास्टिंग का कार्य ट्रेंड एवं सर्टिफाइड ब्लास्टर के द्वारा किया जाता है।
16. खनन परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन चालकों को अनावश्यक प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं किये जाने हेतु नियमित निर्देशित किया जाता है।
17. खनन कार्य दिन एवं रात में किया जाता है तथा ब्लास्टिंग कार्य केवल दिन में किया जाता है।

an

any
Dif
de
Chaurasigamla

18. जल उपयोग हेतु प्राइवेट टैंकर्स का प्रयोग किया जाता है। खनन परियोजना प्रतिनिधि व खान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन स्थल पर खनन कार्य आगामी 10 वर्ष तक किये जाने हेतु खनन पट्टा स्वीकृत है। खनन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् खुदी हुई पिट को वाटर रेजरवायर के रूप में नियमानुसार परिवर्तित किया जायेगा।
19. मै0 नोयडा टेस्टिंग लैबोरेटरी, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर द्वारा दिनांक— 20.05.2022 एवं दिनांक 21.05.2022 को की गयी परिवेशीय वायु गुणता मॉनिटरिंग रिपोर्ट में पार्टिकुलेट मैटर मानकों के अनुरूप है। दिनांक— 30.05.2022 को की गयी परिवेशीय ध्वनि स्तर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में ध्वनि स्तर मानकों के अनुरूप है। (परिवेशीय वायु गुणता मॉनिटरिंग रिपोर्ट एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर मॉनिटरिंग रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नक— 2 के रूप में अवलोकनार्थ संलग्न है)।
20. खनन पट्टा स्थल से उत्तर-पश्चिम दिशा में पट्टाधारक द्वारा स्वयं की भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।
21. खनन स्थल के निरीक्षण के समय आवेदक राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सारथ कुमार व्यास एवं गांव के कुछ अन्य निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि खनन पट्टा स्थल पर अवैध खनन कार्य एवं ब्लास्टिंग की जा रही है। प्रतिबन्धित ग्रीन एरिया में खनन कार्य किया जा रहा है। सांस लेने एवं स्वास्थ्य की समस्यायें आस-पास के ईकोलॉजी को नुकसान हो रहा है। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर आबादी एवं जानवरों पर गिरता है। पहाड़ी चट्टान के ऊपर सीमेंट व पत्थर से निर्मित अत्यन्त छोटे कक्ष रूपी निर्माण को सिद्धबाबा मन्दिर अवगत कराते हुए खनन कार्य से उसका नुकसान अवगत होना कराया गया। खनन स्थल पर पहाड़ी चट्टान के दो पत्थरों के बीच उपलब्ध खाली जगह को केव एवं पहाड के निचले भाग में एक जगह उपलब्ध गड्ढा जिसमें घास/छोटे प्लांट उगे हुए पाये गये, को कुंड होना अवगत कराते हुए उसका नुकसान अवगत होना कराया गया।
22. खनन स्थल से दक्षिण दिशा में सटे हुए चार कच्चे मकान बने हुए पाये गये तथा दक्षिण-पूरब दिशा में ग्राम— सिंघनपुर की आबादी लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य दिशाओं में कृषि भूमि स्थित है। गांव के निवासियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये शपथपत्र दिनांक 01.11.2022 में उल्लिखित किया गया है कि "खनन संचालन से गांव के आबादी निवासियों को वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता है। खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है। उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है।" (छायाप्रति संलग्नक— 3)।

an

6

6


Chandrapada

23. खनन पट्टाधारक द्वारा डिस्ट्रिक लेवल इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट एथारिटी के पत्र दिनांक 01.12.2018 एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति (जल एवं वायु) आदेश दिनांक 15.07.2022 में अंकित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है।
24. खनन स्थल पर वन विभाग की भूमि उपलब्ध नहीं होने सम्बन्धी प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा द्वारा पत्रांक 1375/33-1/ दिनांक 11.02.1998 जारी है (छायाप्रति संलग्नक- 4)।
25. उक्त खनन क्षेत्र के आस-पास खनन से सम्बन्धित किसी भी क्रोनिक बीमारी के मरीज नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में दर्ज नहीं है।
26. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सम्बन्धित बिन्दुओं एवं नियमावली प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम-1958 की धारा(2) के आधार पर खनन स्थल गाटा सं0-482, ग्राम-सिंधनपुर, बघारी, तहसील-सदर, जनपद- महोबा, उ0प्र0 स्थित पहाड़ पर स्थित मंदिर (पहाड़ी चट्टान के ऊपर सीमेंट व पत्थर से निर्मित अत्यन्त छोटे कक्ष रूपी निर्माण) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नियमावली के अनुसार मंदिर अथवा पुरातात्विक किसी स्थापत्य की श्रेणी में परिभाषित होता है अथवा नहीं के क्रम में उल्लेखित है कि आस-पास के पहाड़ी क्षेत्र में प्राचीन व पुरातात्विक गतिविधियों के कोई प्रमाण नहीं पाये गये। उपरोक्त छोटे कक्ष रूपी निर्माण एक चट्टान के ऊपर निर्मित किया गया है जिसे स्थानीय लोग सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं एवं वहां धार्मिक क्रिया कलाप भी स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किये जाते हैं। ऐसे अनेक लघु देवालय इस सम्पूर्ण क्षेत्र में अनेक स्थानों पर पाये जाते हैं जो कि स्थानीय ग्राम देवताओं की श्रेणी में माने जा सकते हैं। उक्त स्थापत्य संरचना के निर्माण में प्रयुक्त आधुनिक निर्माण सामग्री (जो कि सीमेंट एवं पत्थर से निर्मित है) के अध्ययन एवं स्थानीय निवासियों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से ही निर्मित किया गया है। निरीक्षण के दौरान भी इस स्थल में एवं आस-पास कोई भी पुरातात्विक अवशेष विद्यमान नहीं पाये गये हैं। उक्त संरचना राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर की महत्वपूर्ण/ऐतिहासिक/स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचना की श्रेणी में नहीं लायी जा सकती है और ना ही केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त देवस्थान (सिद्ध बाबा) तक पहुच मार्ग अत्यन्त दुष्कर है, सामान्यतः नियमित रूप से वहाँ श्रद्धालुओं का सुरक्षित आवागमन सम्भव नहीं है। ग्रामवासियों की धार्मिक आस्था को दृष्टिगत खनन प्रक्रिया के दौरान उसे क्षतिग्रस्त नहीं होने के सम्बन्ध में खनन पट्टा धारक को सुझाव दिया जा सकता है।
27. श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व0 सुऐब अहमद, निवासी- विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद महोबा की तहसील सदर









स्थित ग्राम— सिंधनपुर, बघारी की गाटा सं०— 482 (क्षेत्रफल— 2.024 हे०) पट्टा क्षेत्र की सीमा के बाहर हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बॉदा की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय जांच समिति की जांच आख्या में उल्लिखित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 756.0 घन मी० उपखनिज गिट्टी/पत्थर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, पाये जाने के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी महोबा के पत्र सं०—3163/एम० एम०सी०—30/खनिज/2021—22 दिनांक 03.01.2022 द्वारा पट्टाधारक द्वारा किये गये अवैध खनन की मात्रा 756 घनमीटर बोल्टर/पत्थर के सापेक्ष रॉयल्टी रू० 1,20,960/— तथा खनिज मूल्य रू० 6,04,800/— व शास्ति की धनराशि रू० 5,00,000/— कुल रू० 12,25,760/— (रू० बारह लाख पच्चीस हजार सात सौ साठ मात्र) की देयता निर्धारित करते हुए नोटिस प्रेषित की गयी थी, जो पट्टाधारक द्वारा उक्त धनराशि को अण्डरप्रोटेस्ट जमा कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्नक— 5)।

28. श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद, निवासी— विवेक नगर, कबरई, जनपद—महोबा के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम— सिंधनपुर, बघारी की गाटा सं०— 482 (क्षेत्रफल— 2.024 हे०) पट्टा क्षेत्र की सीमा के बाहर 756.0 घन मी० उपखनिज गिट्टी/पत्थर का अवैध खनन कर परिवहन किये जाने के विरुद्ध रू० 6,04,800/— (रू० छः लाख चार हजार आठ सौ मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने सम्बन्धी आख्या पत्रांक 1195/ओ.ए. नं०—3235/2022/रामसरीखा सुदेश्वरी/एन.जी.टी./22 दिनांक 29.10.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित है (छायाप्रति संलग्नक— 6)।

जांच/निरीक्षण आख्या प्रस्तुत है।




(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।



(शैलेन्द्र सिंह)
वरिष्ठ खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म
विभाग, महोबा।



(धनेश कुमार गर्ग)
मुख्य चिकित्साधिकारी
महोबा



(मनोज कुमार वर्मा)
सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद
झांसी मण्डल, झांसी।





(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
महोबा।




(आर० एस० वर्मा)
अपर जिलाधिकारी
(वि०/रा०)
महोबा।

खनन पट्टा स्थल के निरीक्षण का फोटोग्राफ।




Dr. Chiranjiv Mishra


Dr. S. K. Mishra




(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा।


(शैलेन्द्र सिंह)
वरिष्ठ खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म
विभाग, महोबा।


(धनेश कुमार गर्ग)
मुख्य चिकित्साधिकारी
महोबा


(मनोज कुमार वर्मा)
सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद
झांसी मण्डल, झांसी।


(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
महोबा।


(आर० एस० वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
महोबा।

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा

पत्रांक-1186 / NGT / OA-235/2022

दिनांक-28 अक्टूबर, 2022

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अंश निम्नवत है-

....."4. *Prima facie*, the allegations made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010 In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Learned Counsel for the applicants and respondent No. 6 have no objection to appointment of such Committee. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Regional Office of Archeological Survey of India, Lucknow, Uttar Pradesh and State PCB, DFO and District Magistrate, Mahoba and direct the same to meet within three weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the project proponent, verify the factual position and submit its report within six weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms, then it shall forward a copy of its report to :-

- (i) The Project Proponent to enable her to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/recommendations contained in the same and file her response before this Tribunal as desired within two weeks from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF; and
- (ii) The concerned Statutory Authorities including State PCB and District Magistrate, Mahoba to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the project proponent and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within two weeks from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 07.12.2022.

7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Regional Office of Archeological Survey of India, Lucknow, Uttar Pradesh, and State PCB, DFO and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

अतएव माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेटस आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2022 के अनुपालन में जनपद-महोबा के ग्राम-सिंघनपुर, बघारी, तहसील सदर, जनपद-महोबा के खाता नं0 735, गाटा नं0-482 (क्षेत्रफल-2.024 हे0) हेतु श्रीमती शाबरा खातून पत्नी कृ0प0उ0

स्व0 सुऐब अहमद निवासी-विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा को खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में जारी सहमति पत्र(एल0ओ0आई0) के क्रम में उक्त खनन स्थल पर किये जा रहे बिल्डिंग स्टॉन (खण्डा बोल्टर, ब्लास्ट(गिट्टी)) खनन कार्य के विरुद्ध ओ0ए0 संख्या-235/2022 में आवेदक श्री सतीश कुमार शर्मा प्राधिकृत प्रतिनिधि, रामसरीखा सुदेश्वरी सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा, निवासी-ए-146, गली नं0-10, ए3, सोनिया विहार, नई दिल्ली-110090 द्वारा उल्लिखित शिकायत के दृष्टिगत निरीक्षण किये जाने एवं माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), जनपद-महोबा की अध्यक्षता में निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है:-

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा, जनपद-महोबा।
2. वरिष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद-महोबा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ(नामित सदस्य)।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा।

उपरोक्त समिति को आदेशित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-235/2022 में पारित उक्त आदेश के अनुपालन में निर्धारित समय सीमा के अन्दर जांच कर संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या एवं ततसम्बन्ध में जांचोपरान्त पाई गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जांच/संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं अनुपालनात्मक कार्यवाही को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), जनपद-महोबा के माध्यम से ससमय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ईमेल आईडी judicial-ngt@gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को प्रेषित किया जाये।

(मनोज कुमार)
जिलाधिकारी, महोबा

पू0सं0 सम दिनांकित:

प्रतिलिपि :

1. पुलिस अधीक्षक, महोबा को समिति की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किये जाने के आशय से प्रेषित।
2. समिति के सदस्यों को अनुपालन हेतु।

(मनोज कुमार)
जिलाधिकारी, महोबा



NOIDA TESTING LABORATORIES

(A Government of India Approved Testing Laboratory)

(An ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 (OH&S) Certified & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

Analyzing for an Assured Future

TEST CERTIFICATE

21/05/2022

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-210522-01	25/05/2022

Issued To: **Smt. Sabra Khatoon W/o Late Shoaib Ahmad**
 Project Name: **Building Stone Granite (Khanda, Gitti, Boulder) Mining Project**
 Address: **Gata No. 482, Village- Singhanpur-Baghari, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba (U.P.)**
Area- 5.00 Acres (2.024 Hect.)

SAMPLING & ANALYSIS DATA

Sample Drawn By : NTL
 Date of Sampling : 20/05/2022 to 21/05/2022
 Sample Description : Ambient Air
 Sampling Location : Project Site
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08
 Analysis Duration : 21/05/2022 to 25/05/2022
 Average Flow Rate of SPM (m³/min.) : 1.08
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0
 Sampling Instrument Used : Respirable Dust Sampler (PM₁₀) Fine Particulate Sampler (PM_{2.5}) With Gaseous Attachment
 Weather Condition : Clear

TEST RESULT

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Particulate Matter (PM ₁₀)	IS:5182 Part-XXIII	76.50	µg/m ³	100.0
2.	Particulate Matter (PM _{2.5})	IS:5182 Part-XXIV	44.12	µg/m ³	60.0
3.	Sulphur dioxide (SO ₂)	IS:5182 Part-II	9.50	µg/m ³	80.0
4.	Nitrogen dioxide (NO ₂)	IS:5182 Part-VI	18.40	µg/m ³	80

Notes: -

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

Alyali
CHECKED BY

NTL
 AUTHORIZED SIGNATORY

Laboratory : GT-20, Sector-117, NOIDA, Gautam Buddha Nagar - 201301

HARIDWAR | RUDRAPUR | CHANDIGARH | DEHRADUN | PUNE

E: noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W: www.noidalabs.com



NOIDA TESTING LABORATORIES

(A Government of India Approved Testing Laboratory)

(An ISO : 9001 : 2015, ISO 45001 : 2018 (OH&S) Certified & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

Analyzing for an Assured Future

TEST CERTIFICATE

Test Report of Ambient Noise	Report Code AN-210522-019	Date of Issue 25/05/2022
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Issued To: Smt. Sabra Khatoon W/o Late Shoaib Ahmad
 Project Name: Building Stone Granite (Khanda, Gitti, Boulder) Mining Project
 Address: Gata No. 482, Village- Singhanpur-Baghari, Tehsil- Mahoba,
 District- Mahoba (U.P.) Area- 5.00 Acres (2.024 Hect.)

SAMPLING & ANALYSIS DATA


Sample Drawn On : 20/05/2022
 Sample Drawn By : NTL Representative
 Sample Received On : 21/05/2022
 Sample description : Ambient Noise

S. No.	Locations	Results		Units
		Day	Night	
1.	Project site	58.2	40.5	dB(A)
Requirement (as per CPCB Guidelines Limits in dB (A) Leq				
	Category of Area/ Zone	Day Time	Night Time	
	Industrial Area	75	70	
	Residential Area	55	45	
	Commercial Area	65	55	
	Silence Zone	50	40	

Notes: -

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

Ayali
CHECKED BY


AUTHORIZED SIGNATORY

Laboratory : GT-20, Sector-117, NOIDA, Gautam Buddha Nagar - 201301
 Branch Office:

HARIDWAR | RUDRAPUR | CHANDIGARH | DEHRADUN | PUNE

E.: noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W: www.noidalabs.com



NOIDA TESTING LABORATORIES

(A Government of India Approved Testing Laboratory)

(An ISO - 9001 : 2015, ISO 45001 : 2018 (OH&S) Certified & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB Recognized Laboratory

Analyzing for an Assured Future

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

TEST CERTIFICATE

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Water Sample	W-210522-023	25/05/2022

Issued To: Smt. Sabra Khatoon W/o Late Shoaib Ahmad
 Project Name: Building Stone Granite (Khanda, Gitti, Boulder) Mining Project
 Address: Gata No. 482, Village- Singhanpur-Baghari, Tehsil- Mahoba,
 District- Mahoba (U.P.) Area- 5.00 Acres (2.024 Hect.)

SAMPLING & ANALYSIS DATA

Sample Drawn On : 20/05/2022
 Sample Received On : 21/05/2022
 Sample Drawn By : NTL
 Sample Quantity : 1 lit.
 Sample Description : Ground Water
 Analysis Duration : 21/05/2022 to 25/05/2022

RESULTS						
Essential test as per IS:10500-2012						
S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Desirable Limit	Extended Limit
1.	pH	IS:3025(Part-11)	7.36	-	6.5 - 8.5	-
2.	Colour	IS:3025(Part-4)	<5.0	Hazen	5	15
3.	Odour	IS:3025(Part-5)	Agreeable	-	Agreeable	Agreeable
4.	Taste	IS:3025(Part-8)	Agreeable	-	Agreeable	-
5.	Turbidity	IS:3025(Part-10)	<1.0	NTU	1	5
6.	Total Hardness (as CaCO ₃)	IS:3025(Part-21)	198.40	mg/l	200	600
7.	Chloride (as Cl)	IS:3025(Part-32)	57.50	mg/l	250	1000
8.	Calcium (as Ca)	IS: 3025 (P- 40)	36.60	mg/l	75	200
9.	Iron (as Fe)	IS:3025(Part-52)	0.127	mg/l	1.0	No Relaxation
10.	Nitrate (as NO ₃)	IS: 3025 (P- 34)	3.06	mg/l	45	No Relaxation
11.	Total Dissolved Solid	IS:3025(Part-16)	621.0	mg/l	500	2000
12.	Alkalinity (as Ca CO ₃)	IS: 3025 (P- 23)	154.0	mg/l	200	600
13.	Fluoride (as F)	APHA 22nd edit	0.35	mg/l	1.0	1.5
14.	Sulphate (as SO ₄)	IS: 3025 (P- 24)	12.60	mg/l	200	400
15.	Magnesium (as mg)	IS: 3025 (P-46)	25.60	mg/l	30	100

Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

Ayali
Checked by

Authorized Signatory

Laboratory : GT-20, Sector-117, NOIDA, Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office


HARIDWAR | RUDRAPUR | CHANDIGARH | DEHRADUN | PUNE

E: noida.laboratory@gmail.com info@noidalabs.com W: www.noidalabs.com

0A-

शिवदा समझ ८५

संख्या नं-3



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

51AE 377102

जिस किसी से भी सम्बंधित है

हम सभी प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ता ग्राम - सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा के निवासी हैं। गाटा संख्या - 482 ग्राम सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा पर श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद द्वारा खण्डा बोल्डर/गिट्टी के खनन कार्य लिए जाने से हम सभी ग्रामीण वासियों को वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता है। खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है।

जायक रज 9519077747

इस्लाम 9936866961

सुऐब 9452699206

राजेश्वरिणी 9648626005

रामसजीवन 9695700632

देवेन्द्र सिंह प्रधान 9532650001

प्रार्थीगण

समस्त ग्रामवासी सिंघनपुर बघारी तहसील जनपद महोबा



क्रमांक: 432
दिनांक: 21/10/22
देश: भारत

नाम व पता: अरुण सिंह, पुराने बंगला
शिवनपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(संजय कुमार)
स्थापक निदेशक
एन.आर.टी. प्रो.ऑफिस, पल्लोवा
लखनऊ-77



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AE 273813

जिस किसी से भी सम्बंधित है

हम सभी प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ता ग्राम - सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा के निवासी हैं। गाटा संख्या - 482 ग्राम सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा पर श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद द्वारा खण्डा बोल्डर/गिट्टी के खनन कार्य जिए जाने से हम सभी ग्रामीण वासियों को वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता है। खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है।

दिनांक - 9794435983
दिनांक - 9880887236

राजकुमार

गाटा संख्या 482


6386920588

प्रार्थीगण

समस्त ग्रामवासी सिंघनपुर बघारी
तहसील व जनपद महोबा

मनुराज कुमार पाराशर
मो० न० 9140640489

मो० न० 8528912928



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AE 273814

जिस किसी से भी सम्बंधित है

हम सभी प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ता ग्राम - सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा के निवासी हैं। गाटा संख्या - 482 ग्राम सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा पर श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद द्वारा खण्डा बोल्लर/गिट्टी के खनन कार्य जिए जाने से हम सभी ग्रामीण वासियों को वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता है। खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है।

संख्या 9005754179

राजेश्वर

चन्दी

श्री 21

श्री 9

प्रीतम

9621069750

8187065267

6386327655

प्रार्थीगण

समस्त ग्रामवासी सिंघनपुर बघारी
तहसील व जनपद महोबा

175
 स्टाम्प विक्रय की तिथि
 प्रायोजन
 को. का नाम/पता
 2-10-2-94 05
 महेश प्रसाद
 20डी07न0क0ट प्रांगण
 अनापद-महोबा 20966

01/11/2022

जेनेअ सुभाष श्री श्री सेवाशाला
 निर सिंचन प्रकृति
 प्रियम

महोबा जिला

(Faint, mostly illegible text, possibly a stamp or official notice)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AE 273812

जिस किसी से भी सम्बंधित है

हम सभी प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ता ग्राम - सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा के निवासी हैं। गाटा संख्या - 482 ग्राम सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा पर श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुपेब अहमद द्वारा खण्डा बोल्लर/गिट्टी के खनन कार्य जिए जाने से हम सभी ग्रामीण वासियों को वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता है। खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है।

रमेश चंद्र 8953525215

प्रार्थीगण

रमाकांत 8887640157 समस्त ग्रामवासी सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा
कमला कांत मो 8707445067

शिवांकर सिंह 9054141532

देवशम सेन

क्रमांक - 1755
स्टाम्प विक्रय की तिथि - 11/11/2022
प्रयोजन -
केस का नाम/पता -
मूल्य का प्रमाण -
दिनांक 194-95

राम-राम अफाम्युनि
अ फाम्युनि
राम - अफाम्युनि

महेश प्रसाद
राम-राम अफाम्युनि
राम-राम अफाम्युनि

कार्यालय प्रमाणीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
 पत्रांक: 1375 / 33-1 / दिनांक, महोबा, फरवरी 11, 1998
 सेवा में,

जिलाधिकारी,
 महोबा।

विषय:- जनपद-महोबा के 64 इकाईयों के सम्बन्ध में सूचना।

संदर्भ:- आपकी पत्र संख्या-94/एम०एम०सी०-वन मुसि दि०-20-1-
 महोदय,

आपके संदर्भित-पत्र के साथ प्रेषित ग्रामों एवं गाँव नम्बर
 की सूची से सम्बन्धित वांछित आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र०सं०	राजस्व भूमि		वन विभाग		जांच जारी	
	ग्राम	गाँव नम्बर	ग्राम	नम्बर	ग्राम	नम्बर
1	2	3	4	5	6	7
1-	डहरा	339, 601, 735, 745/2, 953;	-	-	-	-
2-	सौहारी	512, 335, 326, 216, 320, 324,	-	-	-	-
3-	वीला दक्षिण	328	-	-	-	-
4-	कबरई	532, 967, 1119, 1295, 1513, 977, 440,	-	-	-	-
5-	बधमा	1,	-	-	-	-
6-	टुडिया	356	-	-	-	-
7-	धाना	198,	-	-	-	-
8-	मोचीपुरा	323, 168,	-	-	-	-
9-	उटिया	81, 1097,	-	-	-	-
10-	गंज	19,	-	-	-	-
11-	नधूमुरा	707	-	-	-	-
12-	कुम्हड़ौरा	199	-	-	-	-
13-	पहरा	1464 (अधिन० 1939)	-	-	-	-
14-	शिर सहेवा	152	-	-	-	-
15-	साहपहाड़ी	902	-	-	-	-
16-	महोबा	2591	-	-	-	-
17-	बिलखी	559	-	-	-	-

	3	4	5	6	7
1- सोरा	375	-	-	-	-
2- बरबई	935	-	-	-	-
3- मरहटी	128	-	-	-	-
4- सरहरा कलां	1397	-	-	-	-
5- पल्ला	432, 426	-	-	-	-
6- सिधनपुर	482	-	-	-	-
7- बघारनी		-	-	-	-
8- पचहरा	142	-	-	-	-
9- घुटई	1373	-	-	-	-
10- नोनका	394	-	-	-	-
11- नकरा	1069, 1070, 1555	-	-	-	-
12- महोव कंठ	593, 723	-	-	-	-
13- रैपुरा		-	-	-	-
14- हरदी निकस	464	-	-	जमाला	60
15- जमाला		-	-	-	-
16- कुलपहाड़	1370, 2410, 3988	-	-	-	-
17- जेतपुर	3136,	-	-	महोबा	188
18- महोबा इटोरा		-	-	इटोरा	
19- राइनपुर	1210, 1307	-	-	-	-
20- खेला	3511,	-	-	-	-
21- मझोल	288,	-	-	-	-
		-	291	-	-

नोट :- बरबई गाँव नं० 480 मौदवा रेंज इटोरी खुर वन प्रभाग से सम्बन्धित है।

भवदीय,
 इन्द्र सिंह
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 महोबा वन प्रभाग, महोबा।

(5)

जिलाधिकारी कार्यालय महोबा
(खनिज अनुभाग)

पत्र सं०-3163 / एम०एम०सी०-30 / खनिज / 2021-22

दिनांक 03/01 / 2022


नोटिस

श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व० श्री सुऐब अहमद
नि० विवेक नगर, कबरई तहसील सदर
जनपद महोबा।

जनपद महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम सिंघनपुर बवारी के गाटा सं० 482 रकबा 2.024 हे० (5.00 एकड़) क्षेत्र पर ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से ईमारती पत्थर (ख०गि०बो०) का खनन पट्टा दिनांक 08.01.2019 से 10 वर्ष की अवधि हेतु आपके प्लॉट में स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की सीमा से बाहर हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०) बांदा की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए जाँच/माप के निर्देश दिये गये। आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बांदा के पत्र संख्या-362/जे०ए०-ज्ञापन-आख्या/2020-21 दिनांक 03.01.2022 के साथ संलग्न गठित समिति की संयुक्त जाँच आख्या में उल्लिखित है कि आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 756 घन मी० गिट्टी/पत्थर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है।

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-4 व 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार अवैध खनन की मात्रा 756 घन मी० बोल्डर/पत्थर के सापेक्ष रायल्टी रू० 1,20,960/- तथा खनिज मूल्य रू० 6,04,800/- व शास्ति की धनराशि रू० 5,00,000/- कुल रू० 12,25,760/- (रूपया बारह लाख पच्चीस हजार सात सौ साठ मात्र) की देयता आप पर बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के 02 दिवस के अन्दर उक्त देय धनराशि जमा कर बालान की मूल प्रति प्रस्तुत करें तथा उक्त अपराध आप द्वारा किन परिस्थितियों में किया गया है, का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि नियत अवधि में देय धनराशि जमा कर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।


(मनोज कुमार)
जिलाधिकारी,
महोबा

पत्र सं० व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: आयुक्त महोदय, चित्रकूट धाम मण्डल बांदा को उनके पत्र दिनांक 03.01.2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)
जिलाधिकारी,
महोबा



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बाँदा उ०प्र०-210001

संदर्भ संख्या : 1195/ओ०ए० सं०-235/2022/राम सरीखा सुदेश्वरी/एनजीटी/22 दिनांक : 29/10/2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद निवासी-विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद-महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम-सिंघनपुर, बघारी, तहसील सदर, जनपद-महोबा के गाटा नं०-482 (क्षेत्रफल-2.024 हे०) के बाहर 756 घनमीटर गिट्टी/पत्थर का अवैध खनन किये जाने के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-235/2022 (आई.ए.नं. 78/2022) राम सरीखा सुदेश्वरी सोसल वेलफेयर फाउण्डेशन बनाम स्टेट्स आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश के अंश निम्नवत है-

...4. *Prima facie*, the allegations made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010 In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Learned Counsel for the applicants and respondent No. 6 have no objection to appointment of such Committee. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Regional Office of Archeological Survey of India, Lucknow, Uttar Pradesh and State PCB, DFO and District Magistrate, Mahoba and direct the same to meet within three weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the project proponent, verify the factual position and submit its report within six weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms, then it shall forward a copy of its report to:-

- (i) The Project Proponent to enable her to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/recommendations contained in the same and file her response before this Tribunal as desired within two weeks from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF; and
- (ii) The concerned Statutory Authorities including State PCB and District Magistrate, Mahoba to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the project proponent and following due process of law and they shall submit their action taken reports

separately within two weeks from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 07.12.2022.
7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Regional Office of Archeological Survey of India, Lucknow, Uttar Pradesh, and State PCB, DFO and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक— एच 83286/एन.जी.टी. नं०-207/2022 दिनांक 19.10.2022 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बौदा को नामित किया गया है, जिसके अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 1186/एन.जी.टी./ओ.ए. नं०-235/2022 दिनांक 28.10.2022 द्वारा जांच कराये जाने हेतु संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया (छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-1)।

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 3163/एम.एम.सी-30/खनिज/2021-22 दिनांक 03.01.2022 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित है कि श्रीमती शाबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद निवासी-विवेक नगर, कबरई, जनपद-महोबा द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद-महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम-सिंघनपुर, बघारी, तहसील सदर, जनपद-महोबा के गाटा नं०-482 (क्षेत्रफल-2.024 हे०) के बाहर 756 घनमीटर गिट्टी/पत्थर का अवैध खनन किया गया है। तत्कम में खनिज मूल्य रू० 800/- प्रतिघनमीटर की दर से रू० 6,04,800/- (रू० छः लाख चार हजार आठ सौ मात्र) निर्धारित है।


There is no separate formula/ method available for the calculation of environment compensation further access stone quarry.

Order passed by Hon' ble NGT in OA No- 560/2022(Kamlapat Vs State of U.P. and others) " Compensation for illegal mining has to be equal to the sale price of the mined material in view of Section 21(5) of the MMDR Act, 1957 and judgment of the Hon'ble Supreme Court in Common Cause v. U.O.I. & Ors. (2017) 9 SCC 499."

Total illegal mined mineral Value	= Rs. 6,04,800/-
Environmental Compensation amount	= equal of illegal mined mineral value
	= Rs. 6,04,800/-

खनन पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करना पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है। तत्कम में खनन पट्टाधारक को रू० 6,04,800/- (रू० छः लाख चार हजार आठ सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (राजेन्द्र प्रसाद)
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महोबा को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी (प्रथम), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


 क्षेत्रीय अधिकारी

